इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 मई 2017—वैशाख 19, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2017

क्र. एफ 1-1-2016-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, अनुक्रमांक ''तिरेपन-जन शिकायत निवारण'' का लोप किया जाए.

2. अनुसूची में,—

(क) शीर्षक ''तिरेपन-जन शिकायत निवारण विभाग'' तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ख) शीर्षक ''इकसठ-लोक सेवा प्रबंधन विभाग'' के अधीन,—

(एक) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 5 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''त्वरित गति से निराकरण करने की दृष्टि से निम्नलिखित मामलों का समन्वयन तथा अनुश्रवण (मॉनीटरिंग):—

6. मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण को भोपाल में तथा दौरों पर प्राप्त होने वाले शिकायती-पत्र, अभ्यावेदनों और आवेदन-पत्रों का (जो उनके विभाग से सीधे संबंधित न हों) रजिस्ट्रीकरण और अनुसरण की जाने वाली कार्रवाई सुनिश्चित करना.

7. संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त पत्र एवं संदर्भ.

8. कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के शोषण और उन पर अत्याचार संबंधी शिकायतें.
9. भूमि विवाद संबंधी अभ्यावेदन, शिकायतें.
10. भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें.
11. पेंशन और वेतन भुगतान में विलम्ब संबंधी मामले.
12. दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी मामले.
13. प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली याचिकाएं आदि.

टीप.—संबंधित प्रशासकीय विभाग, प्राप्त होने वाले शिकायत-पत्रों, अभ्यावेदनों और आवेदन-पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिये तथा उनका शीघ्रता से निपटारा करने के लिये उत्तरदायी होंगे.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2017

क्र. एफ-1-01-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-01-2016-एक-(1) दिनांक 9 मई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 9th May 2017

No. F-1-01-2016-One (1).—In exercise of the powrs conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, serial number "LIII-PUBLIC GRIEVANCES REDRESSAL" shall be omitted;

2. In the schedule,–

(a) The heading "LIII-Public Grievances Redressal Department" and entries relating thereto shall be omitted;

(b) Under the heading "LXI-PUBLIC SEREVICE MANAGEMENT DEPARTMENT", in part (a), after serial number 5, the following entries shall be inserted, namely :–

"Coordination and monitoring of the following matters in order to facilitate speedy disposal :—

6. To ensure registration sand follow up action of the complaints, representations and applications received by the Chief Minister and Ministers at Bhopal and on tours (which are not directly related to their departments).

7. References and letters of the Members of Parliaments, Members of Legislative Assembly and other important persons received in the Chief Minister's Secretariat.

8. Complaints regarding exploitation of the atrocities on the persons belonging to the Weaker Sections.

9. Complaints, representation regarding land disputes.

10. Complaints regarding corruptions.

11. Cases relating to delay in payment of pensions and salaries.

12. Cases pertaining to the appointments on compassionate grounds to the dependents of the deceased Government Servants.

13. Petitions etc. received from Prime Minister's Office.

Note.—The concerned administrative department shall be responsible for taking necessary action on the complaints, representations and applications received and for speedy disposal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.